

वन संरक्षण अधिनियम ,1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/ व.म.अ.का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | परियोजना का नाम | महाप्रबंधक टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 हे. प्रस्तावित हैं। जिसमें कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.536 हे. | | |
| 2 | आवेदक/आवेदक विभाग का नाम | टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.) | | |
| 3 | गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग | 0.536 हे. | | |
| 4 | आवेदित क्षेत्र की स्थिति | जिला | वनमंडल | परियोजना स्थल |
| | | कबीरधाम | कवर्धा | बंजारी से बोड़ला |
| 5 | वनभूमि का विस्तृत विवरण :- | वनखण्ड | कक्ष/खसरा क्रमांक | आवेदित रकबा (हे. में) |
| | क. आरक्षित वनभूमि | बंजारी | RF 60 | 0.056 |
| | | बंजारी | RF 61 | 0.112 |
| | | बंजारी | RF 63 | 0.008 |
| | | बंजारी | RF 64 | 0.017 |
| | | बंजारी | RF 65 | 0.153 |
| | | योग :- | | 0.346 |
| | ख. संरक्षित वनभूमि | चोरभट्टी | PF 313 | 0.097 |
| | | बोड़ला | PF 315 | 0.093 |
| | | योग :- | | 0.190 |
| | ग. राजस्व वनभूमि | — | — | 0.000 |
| | | कुल योग :- | | 0.536 ha. |
| 6 | आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार | आवेदित क्षेत्र मिश्रित वन है, प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट ऑफ-वे सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है। | | |
| 7 | आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण | प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट-ऑफ-वे के सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है। उक्त कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है, अतः वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है। | | |
| 8 | आवेदित वन क्षेत्र में वृक्षों का विवरण | सामान्य है। | | |
| 9 | आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी.ध्वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।) | — | | |
| 10 | क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर | प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट ऑफ-वे के सीमा के | | |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | रिजर्व, प्राकृतिक झील/ वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें। | अंतर्गत ही किया जाना है, अतः अन्य कोई विकल्प नहीं है। |
| 11 | आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें। | नहीं किया गया है। |

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- परिशेज कवर्धा

दिनांक :- 05/10/2023

(चूडामणि सिंह) भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी
कवर्धा विभाग, कबीरधाम जिला
जिला-कबीरधाम (छ0ग0)